कार्यालय परिपत्र सं०-16/7073 दिनांक 31-3-2017

पत्र संख्या-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/मु0 /स0प0/गेहूँ करापवंचन /16-17/ 3900 /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्यकर, उ0प्र0
(वि0अनु0शा0- अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 29 मार्च,2017

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विषय: रवी विपणन वर्ष 2017-18 में प्रान्त बाहर जाने वाले गेहूँ से होने वाले वाणिज्य कर अपवंचन के सम्बन्ध में।

आप अवगत है कि रवी सीजन वर्ष 2017-18 प्रारम्भ हो चुका है। गेहूँ से अधिकाधिक कर संग्रहण किये जाने हेतु आपके अधिक्षेत्र में ठोस कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए खाद्यान जिसमें मुख्यत: गेहूँ के सम्व्यवहार में होने वाले करापवंचन को रोकने के लिए पूर्व वर्षों की भाँति निम्न निर्देश दिये जाते है:-

1. सीजन वर्ष 2017-18 में आपके जोन की सीमा मे गेहूँ का परिवहन करने वाले वाहनों की अधिक से अधिक जॉच कराते हुये शत-प्रतिशत बिलों का संग्रहण कर उनकी तत्काल ऑनलाइन फीडिंग एवं कर निर्धारण अधिकारियों को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये।
2. वाणिज्य कर एवं मण्डी समितियों के अधिकारियों की टीमें बनाकर मण्डियों, फ्लोर मिलो व आढ़तियों का निरीक्षण कराया जाये एवं सुनिश्चित किया जाये कि गेहूँ पर करापवंचन एवं अवैध संचरण न होने पाये।
3. रेल रैक के माध्यम से प्रेषित किये जाने वाले गेहूँ में मण्डी/ वाणिज्य कर का कोई अपवंचन निहित न हो। अत: इस माध्यम से गेहूँ के संचरण पर सतत निगरानी रखी जाये।

उपरोक्त सन्दर्भ में आपसे अपेक्षित है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपर्युक्त निर्देशों से अवगत कराते हुये अनुपालन सुनिश्चित कराये तथा अपने स्तर से गेहूँ के सम्व्यवहारों व उससे प्राप्त होने वाले कर का नियमित अनुश्रवण करते हुये करापवंचन को रोकने हेतु सार्थक प्रयास करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही की सूचना पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में मुख्यालय के सचल दल व वि0अनु0शा0 अनुभाग को मासिक रूप में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(रघुबीर)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दि0 उक्त :

प्रतिलिपि: ज्वाइन्ट कमिश्नर(सचल दल), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

गेहूँ की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारूप 1)

सचलदल इकाइयों एवं अधिकृत कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा गेहूँ के वाहनों की जांच का विवरण:-

जोन का नाम   माह का नाम   (धनराशि लाख रूपयें में)

कम संख्या	चेक किये गये वाहनों की संख्या	दोषी वाहनों की संख्या	अभिग्रहीत माल का मूल्य	जमा करायी गयी जमानत /अर्थदण्ड की धनराशि	एकत्रित किए गये बिल /9 आर/6 आर का विवरण	
					संख्या	आच्छादित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7

गेहूँ की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारूप 2)

जोन में स्थित करनिर्धारण अधिकारी /वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा मण्डियों की जांच का विवरण :-

जोन का नाम   माह का नाम   (धनराशि लाख रूपयें में)

कम संख्या	कुल मण्डियों की संख्या	मण्डी का नाम जिसकी जांच की गयी	व्यापारियों की संख्या जिनकी जांच की गयी	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिकूल तथ्य पाये गये	अपवंचित धनराशि (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5	6

गेहूँ की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारूप 3)

जोन में रेल मार्ग के माध्यम से परिवहित किये जाने वाले गेहूँ की जांच का विवरण (वि0अनु0शा0/करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा :-

जोन का नाम   माह का नाम   (धनराशि लाख रूपयें में)

कम संख्या	रेलवे स्टेशन का नाम	व्यापारी का नाम व पता जिसके नाम रेलवे वैगन /बाक्स आवंटित हुआ	व्यापारी का नाम व पता जिसके द्वारा वास्तविक रूप से माल भेजा गया	माल की मात्रा /मूल्य		तिथि	जांच का विवरण
				मात्रा	मूल्य		
1	2	3	4	5	6	7	8

गेहूँ की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारूप 4)

जोन में स्थित फ्लोर मिलों की जाँच का विवरण(वि0अनु0शा0/करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा):-

जोन का नाम   माह का नाम   (धनराशि लाख रूपयें में)

कम संख्या	कुल फ्लोर मिलों की संख्या	जाँच की गयी फ्लोर मिलों की संख्या	जांच का परिणाम		ऐसी फ्लोर मिलों की संख्या जिनकी जाँच किया जाना अवशेष है
			पाये गये प्रतिकूल मामलों की संख्या	प्रतिकूल मामलों मे निहित अपवंचित धनराशि	
1	2	3	4	5	6

(कैलाश कुमार) 29.3.17